

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001
email:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel. no. 0294-2424748

क्रमांक: एफ 5 (108 / पाईप लाईन) एफसीए / मु.व.स. / 2022 / 6983 दिनांक :- 26.12.2023
निमित्त

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.1137 ha.(Udaipur WL 0.8586+1.2511 Udaipur South) forest land in favour
PHED Udaipur for AUGMANATION OF PRODUCTION FROM JAISMAND LAKE FOR UWSS
UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER
TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISMAND LAKE TO UDAIPUR.
(Proposal No. FP/RJ/Water/151001/2022)


प्रसंग:- आपका पत्रांक 5670-71 दिनांक 18.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि सहायक अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना उपखण्ड तृतीय, उदयपुर आक्षेपों की पूर्ति करवाकर पूर्व में
प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुए 2.4938 हैक्टर का संशोधित प्रस्ताव उप वन
संरक्षक, उदयपुर को प्रस्तुत किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य वनमण्डल, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक एफ
0/तकनीकी/उ.व.स./2023/9207-08 दिनांक 22.12.2023 से उनके क्षेत्राधिकार में उदयपुर से
जयसमन्द तक की सीमा पानी की पाईप लाईन डालने के लिए 1.9596 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की
स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को उनकी अनुशांषा के साथ प्रेषित किया गया है।
उप वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्ताव इस कार्यालय की सहमति के साथ पार्ट - III की पूर्ति एवं ऑनलाईन कर
हार्ड कॉपी मूल ही तीन प्रतियों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु
संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार (मूल प्रस्ताव 3 सैट में)

भवदीय



(आर. के. सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांक: सम संख्यक /

दिनांक

प्रतिलिपि - उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 9207-08 दिनांक 22.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ
प्रेषित है।

६०/-
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर


PART – III

(to be filled by the concerned Chief Conservator of Forest)
(Proposal No. FP/RJ/Water/151001/2022 (1.9596))

| | | |
|----|---|---|
| 14 | Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Chief Conservator of forest (Yes/No.), if yes the date of inspection & observation note to be enclosed. | No. |
| 15 | Whether concerned Chief Conservator of Forest agrees with the information given in Part –A and Part- Bthe recommendations of Deputy Conservator fo Forest | Agree with the information given in Part I & recommendations of DCF Udaipur in part II. |
| 16 | Specific recommendations of concerned Chief Conservator of Forest for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons. | Proposal may be accepted in Public interest. |

Dated:- 26/12/2023

Place:- Udaipur


(R.K.Singh)

Regional Chief Conservator of Forest
Udaipur

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज.)

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) पिन-313001

E-mail: dcfudaipur@gmail.com Phone / Fax 2429239

क्रमांक:—एफ()/ तकनीकी/ उ.व.स./ 2023/ १२१२

दिनांक:—०७/११/२३

निमित्त

सभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय:— Augmentation of Production From Jaisamand Lake for UWSS Udaipur Laying of 33kV XLPE 300 Sq. mm Cable (Existing 33kV GSS to Proposed 33kV GSS) & Laying for Under Ground /Open 900 mm Dia Pipe Line from Jaisamand Lake to Udaipur City (Rajasthan) (Proposal No. FP/RI/ WATER/151001 /2022


संदर्भ:—उप वन संरक्षक (एफसीए) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प.14()Water / प्रमुवसं. 2022/एफसीए/ 5670-71 दिनांक 18.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में यूजर एजेन्सी द्वारा 2.1137 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार वांछित सूचनाएं/ स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने हेतु यूजर एजेन्सी को इस कार्यालय के पत्रांक 5370 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी के पत्रांक 512 दिनांक 04.10.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुए 2.4938 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रकरण में इस कार्यालय के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार



भवदीय,

(सुगनाराम जाट)

भा.व.से.

उप वन संरक्षक,

उदयपुर

दिनांक:—

क्रमांक:—एफ()/ तकनीकी/ उ.व.स./ 2023/

प्रतिलिपि अधिशापी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड प्रथम, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

२०

उप वन संरक्षक,

उदयपुर

FCR
Ret up
29/11

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज.)

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज0) पिन-313001

E-mail:- dcfudalpur@gmail.com Phone / Fax 2429239

क्रमांक:-एफ()/तकनीकी/उ.व.स./2023/ 9207-08

दिनांक:- 22/12/23

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय:- Augmentation of Production From Jaisamand Lake for UWSS Udaipur Laying of 33kV XLPE 300 Sq. mm Cable (Existing 33kV GSS to Proposed 33kV GSS) & Laying for Under Ground /Open 900 mm Dia Pipe Line from Jaisamand Lake to Udaipur City (Rajasthan) (Proposal No. FP/RI/ WATER/151001 /2022

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ5(108/पाईप लाईन)/एफसीए/मुवसं/2023-24/6799 दिनांक 18.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के पत्रांक 5670-71 दिनांक 18.04.2023 से चाही गई सूचना बिन्दुवार तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय द्वारा यूजर एजेन्सी को निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी के पत्रांक 643-643 दिनांक 18.01.2023 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना संशोधित प्रस्ताव में पृष्ठ क्रमांक 18-19 पर संलग्न है जिससे यह कार्यालय सहमत है।

अतः मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार यथा प्राप्त।



भवदीय,

(सुगनाराम जाट)

भा.व.से.

उप वन संरक्षक,

उदयपुर

क्रमांक:-एफ()/तकनीकी/उ.व.स./2023/

दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड प्रथम, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

॥
उप वन संरक्षक,
उदयपुर